अति तत्काल
स्पीड / रजि पोस्ट

दूः 21–11–5170(एफनेट)

पीसी निदेशालय / पीसी–जेसीएम
वायुसेना मुख्यालय
वायु भवन,
नई दिल्ली–110106

वायुसेना मुख्यालय / 23058 / 136(मुख्य) / पीसी जेसीएम    06 अगस्त 2014

सभी कमान मुख्यालय
(एसओए / एसएएसओ के ध्यानार्थ)

**वायुसेना मुख्यालय के जेसीएम तृतीय–स्तर की 136वीं बैठक का कार्यवृत्त**

1 दिनांक 31 जुलाई 2014 के पत्रांक वा.से.मु / 23058 / 136(मि) / पीसी जेसीएम के द्वारा जारी वायुसेना मुख्यालय के जेसीएम तृतीय–स्तर की 136वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में(प्रति संलग्न) ।

2. अनुरोध किया जाता है अपने मुख्यालय से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करें–

(क) पश्चिम वायु कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 6, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 53, 56, 58, 67, 79, 80 एवं 82.

(ख) पूर्वी वायु कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 53, 67, 79, 80 एवं 82.

(ग) मध्य वायु कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 47, 53, 67, 79, 80 एवं 82.

(घ) दक्षिण–पश्चिम वायु कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 45, 46, 53, 55, 57, 67, 79, 80 एवं 82.

(च) दक्षिण वायु कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 40, 53, 67, 79, 80 एवं 82.

(छ) प्रशिक्षण कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 53, 67, 79, 80 एवं 82.

(ज) अनुरक्षण कमान मुख्यालय – संलग्नक 'सी' के बिंदु सं0 4, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 37, 41, 51, 53, 65, 67, 79, 80 एवं 82.

3. परिशिष्ट 'सी' में बैठक के दौरान कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाए गए नए मुद्दों का विवरण है । इन मुद्दों पर सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली आगामी स्टीयरिंग समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी । चर्चा के उपरांत समिति यह निर्धारित करेगी कि इनमें से किन मुद्दों को आगामी मुख्य बैठक के एजेण्डा में रखा जाए । अतः यह उचित होगा कि स्टीयरिंग कमिटी की बैठक से पूर्व जेसीएम तृतीय स्तर के कर्मचारी पक्ष के साथ कमान स्तरीय बैठक बुलाई जाए । इस बैठक में सभी कमान कर्मचारी पक्ष के सदस्यों से विचार–विमर्श कर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें एवं मुद्दों को वायुसेना मुख्यालय के तृतीय स्तर जेसीएम की आगामी 137वीं मुख्य बैठक की कार्य–सूची में शामिल करने अथवा न करने के संबंध में कमान–स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अपनी स्पष्ट राय भेजें ।

1

4. तदनुसार अनुरोध किया जाता है कि परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दों पर प्रगति रिपोर्ट/ टिप्पणियाँ इस मुख्यालय के सीसी जेसीएम अनुभाग को 05 सितम्बर2014 तक भेज दी जाएँ । परिशिष्ट 'ए' एवं परिशिष्ट 'बी' में वर्णित मुद्दों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट/टिप्पणियाँ दिनांक 31 अगस्त 2014 तक अपेक्षित हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रिपोर्ट/टिप्पणियों के साथ उनमें संदर्भित पत्रों, आदेशों आदि की प्रतियाँ संलग्न हों । प्रगति रिपोर्ट/टिप्पणियों की एक प्रति एफनोट के माध्यम से आइ0सी0 सं0 08046295/08046403 पर भी भेजी जाए ।

पी एन प्रधान

(पी. एन. प्रधान)
एयर वाइस मार्शल
सहा. वायुसेना अध्यक्ष(कार्मिक वायुसैनिक व असैनिक)

प्रति:-

जेसीएम तृतीय स्तर, वायुसेना मुख्यालय के सभी सदस्य

महासचिव
ए.आई.डी.ई.एफ,
सर्वे सं0 81, एलफिंस्टोन रोड, खड़की,
पुणे-411003

महासचिव
आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ,
सं0 06, 6वीं गली, वैष्णवी नगर,
चेन्नई-600109

महासचिव
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
2ए, नवीन मार्केट, कानपुर-208001

महासचिव
सी.डी.आर.ए.
95, डिफेन्स अपार्टमेंट्स, जी-17, पश्चिम विहार,
रोहतक रोड, नई दिल्ली-87

महासचिव,
वायुसेना स्टोरकीपर एसोसिएशन(आई)
ए-15 बी, मंसाराम पार्क,
निकट मैट्रो पिलर सं0 753,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-59

महासचिव,
अखिल भारतीय वायुसेना सिविलियन कुक एसोसिएशन(आई)
मकान सं0 एफ-225, मोतीबाग,
नई दिल्ली-110023

रक्षा मंत्रालय/डी(जेसीएम)

रक्षा मंत्रालय/डी(एयर-III)

रक्षा मंत्रालय/डी(वित्त)

एजी/एमपी-4(सिव)

नौसेना मुख्यालय/डीडीपीएस

संगठन निदेशालय(प्रशा)

सी ए निदेशालय

शिक्षा निदेशालय

भूतपूर्व वायुयोद्धा निदेशालय

लाजिस्टिक एवं योजना निदेशालय- परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 72

वैयक्तिक योजना निदेशालय - परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 22 एवं 53

वायुसेना निर्माण कार्य निदेशालय- परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 70
परिशिष्ट 'ए' में वर्णित मुद्दा सं0 9

लेखा निदेशालय- परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 3, 19, 34, 42, 43, 44, 54, 66 एवं 73
परिशिष्ट 'बी' – 128वीं बैठक का मुद्दा सं. 12

2

वायुसेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 4 एवं 15

वायुसेना स्टेशन, नई दिल्ली– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 15

वायुसेना अभिलेख कार्यालय– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 15

केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 15

सीएसडीओ– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 15

एएफसीएमई– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 15

एएफसीसी– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 15

आंतरिक

पीसी 3 – परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 18, 20, 23, 27, 33, 53, 63, 68, 71, 74, 75, 76 एवं 77
परिशिष्ट 'बी' की 134वीं बैठक का मुद्दा सं0 6, 121वीं बैठक का मुद्दा सं0 19

पीसी 4– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0. 1, 7, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 67, 69 एवं 81
परिशिष्ट 'ए' में वर्णित मुद्दा सं0 6
परिशिष्ट 'बी' की 135वीं बैठक का मुद्दा सं. 5, 126वीं बैठक का मुद्दा सं. 14 123वीं बैठक का मुद्दा सं0 15

पीसी 5– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 2, 5, 9, 10, 11, 17, 19, 28, 30, 36, 41, 54, 61, 62, 78 एवं 79.
परिशिष्ट 'बी' की 128वी बैठक का मुद्दा सं0 12, 127वीं बैठक का मुद्दा सं. 30 एवं 52, 125वीं का मुद्दा सं. 28, 120वीं बैठक का मुद्दा सं0 29

पीसी–जेसीएम– परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 6, 8, 15, 29, 35 एवं 52
परिशिष्ट 'बी' की 134वीं बैठक का मुद्दा सं0 35

पीसी–डीपीसी परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 26 एवं 67

पीसी (प्रशिक्षण एवं खेल–कूद) परिशिष्ट 'सी' में वर्णित मुद्दा सं0 39
परिशिष्ट 'बी' की 127वीं बैठक का मुद्दा सं0 1, 129वीं बैठक का मुद्दा सं0 11, 132वीं बैठक का मुद्दा सं0 11

3

## वायुसेना मुख्यालय की जेसीएम समिति की 136वीं बैठक का कार्यवृत्त
(दिनांक 09 जुलाई, 1100 बजे आयोजित)

अध्यक्ष

एयर मार्शल एस सुकुमार अविसेमे वासेमं
एयर ऑफिसर प्रभारी कार्मिक

**सरकारी पक्ष**

एयर वाइस मार्शल पी एस प्रधान अविसेमे
सहा. वायुसेना अध्यक्ष(कार्मिक वायुसैनिक व असैनिक)

श्री जयप्रकाश द्विवेदी
प्रधान निदेशक पी. सी.
सचिव

कमान मुख्यालय

एयर वाइस मार्शल एस के मलिक अविसेमे विसेमे
एस.ओ.ए., पश्चिम वायु कमान मुख्यालय

एयर वाइस मार्शल वी एस भारती युसेमे वायुसेना विशि
एस.ए.एस.ओ, अनुरक्षण कमान मुख्यालय

एयर वाइस मार्शल एस के पाढी विसेमे
एस.ओ.ए., प्रशिक्षण कमान मुख्यालय

एयर वाइस मार्शल प्रवीन भट्ट विसेमे
एस.ओ.ए., पूर्व वायु कमान मुख्यालय

एयर वाइस मार्शल टी पी एस ढिल्लों विसेमे
एस.ओ.ए., दक्षिण वायु कमान मुख्यालय

एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी वासेमे विसेमे
एस.ओ.ए., मध्य वायु कमान मुख्यालय

एयर कॉमोडोर नवीन जैन विसेमे
सी.पी.एस.ओ., दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुख्यालय

**कर्मचारी पक्ष**

श्री वीरेन्द्र कुमार
नेता, कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि एआईडीईएफ

श्री सी डी शर्मा
सचिव कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि आईएनडीडब्ल्यूएफ

**एआईडीईएफ के प्रतिनिधि**

श्री एम रवि शंकर
श्री लाल बहादुर
श्री जोगेश्वर दास
श्री विजय पाल

**बीपीएमएस के प्रतिनिधि**

श्री जी धीरू कुमार
श्री एस के रान्हा
श्री आर स्रगुनम
श्री एम जी कानरा
श्री वाई एम बोरोले

**आईएनडीडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधि**

श्री वीर सिंह
श्री एस मोहन

**आईएफएसए(आई) के प्रतिनिधि**

श्री के के शुक्ला
श्री के गणेशन

**एएफएरूए(आई) के प्रतिनिधि**

श्री गीता राम नौटियाल

7

## कार्य–सूची में शामिल मुद्दों पर विचार–विमर्श

5 समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 02 मई 2014 को आयोजित स्टीयरिंग कमिटी की बैठक में 135वीं बैठक में उठाए गए 65 नए मुद्दों पर उनके कार्य–सूची में शामिल किए अथवा न किए जाने पर विचार किया गया । यह भी सूचित किया गया कि इस कमिटी की सिफारिशों के आधार पर 09 मुद्दों को कार्य–सूची में शामिल किया गया है । शेष मुद्दों में से 32 को समाप्त किए जाने एवं 24 को विभागीय कार्यवाई के लिए चुना गया है । इसके बाद समिति ने कार्य–सूची में शामिल मुद्दों पर चर्चा की । विचार–विमर्श का पूरा ब्यौरा एवं मुद्दों पर लिए गए निर्णय परिशिष्ट 'ए' में दिए गए हैं ।

## पूर्ववर्ती बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा

6. पूर्ववर्ती बैठकों में उठाए गए लम्बित मुद्दों पर प्रगति का विवरण परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।

## कर्मचारी पक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए नए मुद्दे

7. इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नेता कर्मचारी पक्ष एवं कर्मचारी पक्ष के अन्य सदस्यों ने भारतीय वायुसेना के असैनिक कर्मचारियों के हितों से संबंधित कुल 82 मुद्दे उठाए । इनका विवरण परिशिष्ट 'सी' पर दिया गया है । इन मुद्दों पर स्टीयरिंग कमिटी की आगामी बैठक में विचार–विमर्श किया जाएगा ।

## अध्यक्ष का समापन भाषण

8. कर्मचारी पक्ष द्वारा नए मुद्दे उठाए जाने के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने स्थानीय मुद्दों को आरंभ में स्टेशन / यूनिट स्तर पर और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर कमान स्तर पर उठाए जाने पर फिर से जोर दिया ।

9. उन्होंने पी सी निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कर्मचारी पक्ष के सदस्यों द्वारा असैनिक कर्मचारियों की बेहतरी हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की ।

10. अध्यक्ष महोदय ने श्री जयप्रकाश द्विवेदी, प्रधान निदेशक, सचिव सरकारी पक्ष जो कि दिनांक 31 जुलाई 2014 को सेवा–निवृत्त होने वाले है के सुकृतों की प्रशंसा की । उन्हें अवकाश–प्राप्ति के बाद सफल एवं सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएँ दी ।

## धन्यवाद प्रस्ताव

11. अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हो गई ।

(जे पी द्विवेदी)
प्रधान निदेशक पी सी
सचिव सरकारी पक्ष
वासेमु की जेसीएम तृतीय–स्तर समिति

वासेमु / 23058 / 136(मुख्य) / पीसी–जेसीएम

31 जुलाई 2014

सेवा में

सभी संबंधित

9

परिशिष्ट 'ए'

## मुख्य बैठक (136वीं) का कार्य–वृत्त

**श्री धीरेन्द्र कुमार, नेता कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि एआईडीईएफ**

1. **बेहतर किस्म के मास्क मुहैया कराने के संबंध में.** नेता, कर्मचारी पक्ष ने कहा कि पेंटर एवं दर्जी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे उन्हें फेंफडे का संक्रमण, दमा जैसी बीमारियों का खतरा रहता है । उन्होंने अनुरोध किया कि इन कर्मचारियों को इन बीमारियों से बचाने के लिए बेहतर किस्म के मास्क उपलब्ध कराए जाएँ ।

**विचार–विमर्श**

कर्मचारी पक्ष को सूचित किया गया कि असैनिक कर्मचारियों के लिए अलग से मास्क प्राधिकृत नहीं किए गए हैं । फिर भी, उन्हें सैन्य कर्मिकों के लिए प्राधिकृत रेस्पिरेटर एण्टी गैस कम्पलीट मास्क (3एम) मुहैया कराए जा रहे हैं । ये मास्क उपलब्ध मास्कों में सर्वोत्कृष्ट हैं ।

नेता कर्मचारी पक्ष ने बेहतर किस्म के मास्क उपलब्ध कराने के लिए सहा. वायुसेना अध्यक्ष (कार्मिक वायुसैनिक व असैनिक), एस.ए.एएस.ओ., अनुरक्षण कमान मुख्यालय एवं प्रधान निदेशक सीसी का शुक्रिया अदा किया । उन्होंने सलाह दी कि मास्क को असैनिक कर्मचारियों के वर्दी के सामान के रूप में दिया जाए। इस पर कर्मचारी पक्ष को बताया गया कि स्केलिंग के अभाव में ऐसा करना संभव नहीं है । फिर भी, उन्हें यह आश्वस्त किया गया कि रेस्पिरेटर एण्टी गैस कम्पलीट मास्क (3एम) खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को दिया जाता रहेगा ।

**निर्णय**

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

**श्री जीडी शर्मा, सचिव, कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि**

2. **बहु–कार्य कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता दिए जाने के संबंध में.** सचिव, कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया कि रात्रि ड्यूटी करने वाले बहु कार्य कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाए ।

**विचार–विमर्श**

कर्मचारी पक्ष को सूचित किया गया कि इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय/डी(सिव–II) भेजा जा चुका है । कर्मचारी पक्ष से यह अनुरोध किया गया कि चूँकि यह मामला तीनों सेनाओं से संबद्ध है इसे उच्चतर समिति में उठाया जाए ।

**निर्णय**

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

3. **प्रतिपूरक अवकाश या समयोपरि भत्ता के संबंध में.** सचिव, कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश या समयोपरि भत्ता दिया जाए ।

**विचार–विमर्श**

कर्मचारी पक्ष को सूचित किया गया कि इस संबंध में इस आशय का स्पष्टीकरण कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिपूरक अवकाश या समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है वायुसेना मुख्यालय के पत्र स0 वायुसेमु/24012/135(स्टियरिंग)/सीसी-5 दिनांक 17 जून 2014 के माध्यम से जारी किया जा चुका है ।

**निर्णय**

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

**श्री एम रविशंकर, सदस्य कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि एआईडीईएफ**

4. **वायुसेना पुलिस से जाँच को समाप्त करने के संबंध में.** सदस्य, कर्मचारी पक्ष ने कहा कि दिनांक 24 अप्रैल 2008 के वायुसेना मुख्यालय/पीसी-5 के निर्देशानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करते समय अधिकारियों के समूह को चल-अचल संपत्ति से संबंधित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को संज्ञान में लेना चाहिए । उन्होंने यह कहा कि इन आदेशों के बावजूद यूनिट/ स्टेशन संपत्ति, निर्भरता, आदि की पड़ताल के लिए वायुसेना पुलिस का सहारा ले रहे हैं। सदस्य ने यह भी रेखांकित किया कि यह प्रथा भेद भावपूर्ण है क्योंकि उन्हीं परिवारों को वायुसेना पुलिस द्वारा जाँच की जाती है जो वायुसेना स्टेशनों के आस पास रहते हैं। उन्होंने वायुसेना पुलिस द्वारा जाँच को तुरन्त बंद कराने का आग्रह किया ।

**विचार-विमर्श**

कर्मचारी पक्ष को सूचित किया गया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश वायु सेना मुख्यालय के पत्र सं० वायुसेमु/23037/203/पीएल/पीसी-5 दिनांक 17 जून 2014 के माध्यम से जारी किए जा चुके है ।

**निर्णय**

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

5. **जेसीडीए (एएफ) नागपुर में एफनेट सुविधा के संबंध में.** सदस्य, कर्मचारी पक्ष ने कहा कि जेसीडीए(एएफ) नागपुर वायुसेना के कर्मचारियों के विभिन्न मामले जैसे-चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा, सं.आ.आ.प्र.यो., गृह निर्माण अग्रिम, आदि का निपटारा करता है । उन्होंने अनुरोध किया कि जेसीडीए(एएफ) से सरल संवाद एवं मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वहाँ एफनेट सुविधा दी जाए । उन्होंने यह भी कहा कि जेसीडीए(एएफ) के अधिकारी भी ऐसा चाहते हैं ।

**विचार-विमर्श**

कर्मचारी पक्ष को सूचित किया गया कि संबंधित निदेशालय द्वारा जेसीडीए(एएफ), नागपुर कार्यालय मे एफनेट सुविधा दिए जाने की पुष्टि की जा चुकी है ।

**निर्णय**

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

**श्री विजय पाल, सदस्य एवं प्रतिनिधि एआईडीईएफ**

6. **सफाईवाला को बहुकार्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के संबंध में.** सदस्य, कर्मचारी पक्ष ने कहा कि सफाईवाला ग्रेड को भी बहुकार्य कर्मचारी बनाया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में बहुकार्य कर्मचारी को यदि कोई लाभ दिया जाता है तो उनसे वंचित न रह जाएँ ।

**विचार-विमर्श**

कर्मचारी-पक्ष को सूचित किया गया कि मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने फाईल कुछ स्पष्टीकरण के लिए लौटाई थी । फाईल को आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ फिर से रक्षा मंत्रालय को दिनांक 04 जून 2014 को भेजा जा चुका है ।

**निर्णय**

इस मामले की प्रगति की अगली बैठकों में समीक्षा करने का निर्णय लिया गया ।

कार्रवाई: पीसी निदेशालय/पीसी-4

**श्री जी थिरुकुमार, सदस्य कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि बीपीएमएस**

7. **बहु कार्य कर्मचारी के पदनाम का परिवर्तन.** सदस्य कर्मचारी पक्ष ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशि विभाग के दिनांक 30 अप्रैल 2013 के आदेश सं 20020/4/2010/स्था(डी) के अनुसार पूर्व के ग्रुप डी पदों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, जैसे- श्रेणी-1, श्रेणी 2, आदि । उन्होंने अनुरोध किया कि वायुसेना के पूर्व के समूह घ पदों को भी इसी तरह श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए ।

15

विचार–विमर्श

कर्मचारी–पक्ष को सूचित किया गया कि उनके द्वारा उद्धृत कार्यालय ज्ञापन पूर्ववर्ती समूह घ पदों के श्रेणीबद्ध किए जाने से संबंधित नहीं है । यह ज्ञापन पूर्ववर्ती समूह घ कर्मचारियों के नए ग्रेडों, जैसे बहु कार्य कर्मचारी, आदि में आने के बाद उनकी वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित है । रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन से इस कार्यालय ज्ञापन को दिनांक 30 जून 2014 को सभी कमान मुख्यालयों एवं स्वतंत्र यूनिटों में अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है ।

निर्णय

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

**श्री वाई एम बोरोले, सदस्य कर्मचारी पक्ष एवं प्रतिनिधि बीपीएमएस**

8. **यूसीसी/डीसीसी बैठकों के संचालय एवं इन बैटकों के कार्यवृत्त तैयार करने के संबंध में** सदस्य कर्मचारी पक्ष ने कहा कि यूसीसी/डीसीसी के मॉडल संविधान के अनुसार बैठकों के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन की है । यद्यपि मॉडल संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है तथापि कार्य–वृत्त तैयार कराने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की है जो बैठकों का संचालन कराता है । श्री बोरोले ने कहा कि अधिकांश यूसीसी/डीसीसी सदस्य पूर्ववर्ती समूह घ ग्रेड के हैं अतः वे कार्यवृत्त तैयार करने में सक्षम नहीं हैं । फिर भी, उन्हें कार्यवृत्त तैयार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है । सदस्य ने अनुरोध किया कि:–

(क) यूसीसी/डीसीसी की बैठकों के संचलन के लिए एस.ओ.पी. बनाया जाए एवं उसे हर यूनिट व स्टेशन में रखा जाए ।

(ख) अथवा, इस आशय का स्पष्ट अनुदेश निर्गत किया जाए कि प्रशासनिक स्टॉफ के द्वारा ड्रॉफ्ट कार्यवृत्त तैयार किया जाए एवं उसे सचिव/सं. सचिव से अनुमोदित कराया जाए । आवश्यकता हो तो कार्यवाही के सम्यक् रूप से नोट कराने के लिए एक स्टेनोग्राफर/प्रशासनिक अनुभाग के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल किया जाए ।

विचार–विमर्श

कर्मचारी–पक्ष को सूचित किया गया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिनांक 13 जून 14 के पत्रांक वायुसेमु/23058/135(मुख्य)/पीसी जेसीएन के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं ।

निर्णय

मुद्दे को बंद करने का निर्णय लिया गया ।

**श्री के के शुक्ला, सदस्य एवं प्रतिनिधि वायुसेना स्टोरकीपर्स एसोसिएशन**

9. **पुराने मुद्दों का पुनरावलोकन,** सदस्य कर्मचारी पक्ष ने बताया कि 135वीं बैठक के दौरान मुद्दा सं0 19 जो कि पर्यावरण भवन में तैनात कर्मचारियों को स्लिक एवं मोबाईल की अनुमति देने से संबंधित था एवं मुद्दा सं0 21 जो सरकारी आवास खाली कराने के लिए अनुदेश जारी करने से संबंधित था पर दिए गए निर्णय स्पष्ट नहीं थे । अतः उन्होंने इन पर पुनर्विचार का आग्रह किया । उन्होंने इस संबंध में मुद्दा सं0 21 से संबंधित कुछ दस्तावेज भी दिए ।

विचार–विमर्श

कर्मचारी–पक्ष को सूचित किया गया कि सुरक्षा पासों का वितरण आरम्भ हो चुका है । इसके आधार पर वे कार्यालय में मोबाईल लाने के लिए अनुमति भी पा सकेंगे । कर्मचारी पक्ष को यह भी सूचित किया गया कि सरकारी आवास खाली कराने से संबंधित जो पत्र सदस्य ने दिया था वह थल सेना द्वारा जारी किया गया था । इससे संबंधित कुछ स्पष्टीकरण थल सेना मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा से माँगा गया है।

सदस्य ने कहा कि इस संबंध में दिशा–निर्देश संपदा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं एवं उन्हें भारतीय वायुसेना के असैनिक कर्मचारियों के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए । उन्होंने दिशा–निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकारी आवास खाली कराने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों का सभी यूनिटों/स्टेशनों द्वारा पालन किया जाना चाहिए ।

निर्णय

यह निर्णय लिया गया कि थल सेना मुख्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद वायुसेना मुख्यालय का संबंधित निदेशालय इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने पर विचार करेगा ।

कार्रवाई: निर्माण निदेशालय

*****